

अमाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2683] No. 2683] नई दिल्ली, रविवार, नवम्बर 13, 2016/कार्तिक 22, 1938

NEW DELHI, SUNDAY, NOVEMBER 13, 2016/KARTIKA 22, 1938

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2016

का.आ. 3446(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 26 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की अधिसूचना सं. का.आ. 3407(अ) तारीख 8 नवंबर, 2016, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में तारीख 8 नवम्बर, 2016 को प्रकाशित की गई थी, को संशोधित करती है, अर्थात् :--

- 1. उक्त अधिसूचना में, पैरा 2 में,--
 - (क) खंड (i) में, "4,000/- रुपए" अंकों और शब्दों के स्थान पर "4,500/- रुपए" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;
 - (ख) खंड (ii) का लोप किया जाएगा ;
 - (ग) खंड (vi) में "इस अधिसूचना के प्रारंभ होने की तारीख से किसी सप्ताह में 20,000/- रुपए की समग्र सीमा के अधीन रहते हुए 10,000/- रुपए प्रतिदिन तक निर्बंधित होगा" शब्दों और अंकों के स्थान पर "24,000/- रुपए प्रति सप्ताह तक निर्बंधित होगा" शब्द और अंक रखे जाएंगे;
 - (घ) खंड 8 के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु इस अधिसूचना के प्रारंभ होने की तारीख से ही किसी एटीएम से प्रत्याहरण सीमा, जिसके अंतर्गत श्वेत लेवल एटीएम हैं, जिनका अंशाकन 500/- रुपए और 2,000/- रुपए के अंकित मूल्य के बैंक नोटों के वितरण के लिए किया गया है,

5262 GI/2016 (1)

18 नवम्बर, 2016 तक प्रतिदिन, प्रति कार्ड 2,500/- रुपए होगी और कोई एटीएम या श्वेत लेबल एटीएम, जिनका पुन: अंशाकन नहीं किया गया है, उनका पुन: अंशाकन होने तक 100/- रुपए या 50/- रुपए का वितरण करना जारी रखेंगे।"।

2. उक्त अधिसूचना में पैरा 3 के खंड (5) का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 10/03/2016-सीवाई.I]

डा. सौरभ गर्ग, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 3407(अ) तारीख 8 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसको अधिसूचना सं. 3418(अ) तारीख 9 नवम्बर, 2016 द्वारा सही किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 2016

S.O. 3446(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 26 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby amends the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs number S.O. 3407(E) dated the 8th November, 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 8th November, 2016, namely:—

- 1. In the said notification, in paragraph 2,—
 - (a) in clause (i), for the words, letters and figures "value of Rs. 4000/-", the words, letters and figures "value of Rs. 4500/-" shall be substituted;
 - (b) clause (ii) shall be omitted;
 - (c) in clause (vi), for the words, letters and figures "shall be restricted to Rs.10,000/- per day subject to an overall limit of Rs. 20,000/- a week from the date of commencement of this notification", the words, letters and figures "shall be restricted to Rs. 24,000/- a week" shall be substituted;
 - (d) after clause (viii), the following proviso shall be inserted, namely:—
 - "Provided that on and from the date of commencement of this notification, withdrawal limit from any ATM including White Label ATM, which has been recalibrated to dispense the denomination of bank notes of the value of Rs. 500/- and Rs. 2000/-, shall be Rs. 2,500/- per day per card upto 18th November, 2016 and any ATM or White Lebel ATM which has not been recalibrated shall continue to dispense Rs.100/- or Rs.50/- until recalibrated."
- 2. In the said notification, in paragraph 3, clause (5) shall be omitted.

[F. No. 10/03/2016-Cy. I]

Dr. SAURABH GARG, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 3407(E) dated the 8th November, 2016 and subsequently corrected *vide* notification number S.O. 3418(E) dated the 9th November, 2016.